राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1756/2013/प्रतापगढ़.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतापगढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पियुष ट्रेडर्स, प्रतापगढ़, (राज.). .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 21/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 04/वेट/12–13/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–प्रतापगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 23 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2009–10 के कर निर्धारण आदेश में अन्तर्राज्यीय विक्रय के प्रमाणस्वरूप प्रपत्र 'सी' बकाया रहने से जो अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था उसमें 'सी' फॉर्म 30 दिवस में ही प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी के 'सी' फॉर्म स्वीकार किये जाने का आदेश दिया गया था।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का विरोध किया परन्तु माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **मैसर्स रोकवेल माइक्रोन मिनरल्स प्रा0 लि0 (2012) 33 टैक्स अपडेट 246** के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय तथा राज्य सरकार द्वारा भी वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा में दिनांक 30.09.2012 तक पारित आदेशों में दिनांक 30.06.2013 तक घोषणा पत्र पेश करने की सीमा बढ़ाने के विधिक प्रावधानों के तहत घोषणा पत्र स्वीकार करने के आदेश दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

लगातार.....2

5. उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत पाया जाता है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

31/8/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य